

कक्ष/समन्वय/व्यवस्था

विषय:- भारत सरकार से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही करने के संबंध में।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक/890/1066/2020/10-2 दिनांक 31.07.2020

-0-

उपरोक्त मध्यप्रदेश शासन वन विभाग का संदर्भित पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

कृपया संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

13/08/2020

(लाल सिंह रावत)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (समन्वय)
मध्यप्रदेश भोपाल


U.Ne/सं/व्यवस्था/1463

13/8/2020

- प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य वन विकास निगम, भोपाल
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, संचालक राज्य बांस मिशन, मध्यप्रदेश
- प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य लघुवनोपज संघ, भोपाल
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मु0 कार्य0 या0 अधिकारी, ईको पर्यटन विकास बोर्ड
- समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय)
- समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय)
- सदस्य सचिव, जैव विविधता विकास बोर्ड

वरिष्ठ निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

लाल सिंह रावत



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश भोपाल
13/8/20

31/07/2020

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/890/1066/2020/10-2

भोपाल, दिनांक 31-7-2020

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय :- भारत सरकार से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही करने के संबंध में।

मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम के भाग पॉच में कार्य नियम 13 के अधीन अनुपूरक अनुदेश छः विविध में सरल क्रमांक 47 में भारत सरकार से प्राप्त समस्त ऐसे पत्रों की प्रतियां (जिसके अन्तर्गत प्रधान मंत्री तथा केन्द्रीय मंत्रियों से पत्र आते हैं) जो कि नेमी या गहत्वहीन स्वस्व से भिन्न हों उनके प्राप्त होने के बाद यथासम्भव शीघ्र सचिव द्वारा प्रगारी मंत्री को प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है।

यह देखा गया है कि भारत सरकार से विभागाध्यक्ष को प्राप्त पत्रों पर विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा सीधे पत्राचार किया जा रहा है, जो उक्त अनुदेश के अनुरूप नहीं है। ऐसी प्रथा को तत्काल प्रभाव से रोका जावे। भारत सरकार से पत्राचार राज्य शासन, वन विभाग के माध्यम से ही किया जावे। इस संबंध में अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(एच.एस. मोहन्ता)
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 31-7-2020

पृ. क्रमांक/891/1066/2020/10-2

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विपणन) संघ/मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल।

4152
04-8-20

AP (Card.)
llh

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
(वन बल प्रमुख) म.प्र. भोपाल

31/7/20

(एच.एस. मोहन्ता)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

4153
6/8/20

04/8/20

विषय:- भारत सरकार से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही करने के संबंध में।


संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक / 890 / 1066 / 2020 / 10-2
दिनांक 31.07.2020

-0-

उपरोक्त मध्यप्रदेश शासन वन विभाग का संदर्भित पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु
संलग्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

कृपया संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सूनिशचित करने का कष्ट
करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार



(लाल सिंह रावत)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (समन्वय)
मध्यप्रदेश भोपाल

प्रबंध संचालक, M0प्र0 राज्य वन विकास निगम, भोपाल

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, संचालक राज्य बांस मिशन, मध्यप्रदेश

प्रबंध संचालक, M0प्र0 राज्य लघुवनोपज संघ, भोपाल

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मु0 कार्य0 पा0 अधिकारी, ईको पर्यटन विकास बोर्ड


समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय)

समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय)

सदस्य सचिव, जैव विविधता विकास बोर्ड

वरिष्ठ निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की ओर सूचनार्थ प्रेषित।







31/07/2020

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/890/1066/2020/10-2

भोपाल, दिनांक 31.7.2020


प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय :- भारत सरकार से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही करने के संबंध में।

मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम के भाग पाँच में कार्य नियम 13 के अधीन अनुपूरक अनुदेश छ: विविध में सरल क्रमांक 47 में भारत सरकार से प्राप्त समस्त ऐसे पत्रों की प्रतियाँ (जिसके अन्तर्गत प्रधान मंत्री तथा केन्द्रीय मंत्रियों से पत्र आते हैं) जो कि नेमी या महत्वहीन स्वरूप से भिन्न हों उनके प्राप्त होने के बाद यथासम्भव शीघ्र सचिव द्वारा प्रभारी मंत्री को प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है।

यह देखा गया है कि भारत सरकार से विभागाध्यक्ष को प्राप्त पत्रों पर विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा सीधे पत्राचार किया जा रहा है, जो उक्त अनुदेश के अनुरूप नहीं है। ऐसी प्रथा को तत्काल प्रभाव से रोका जावे। भारत सरकार से पत्राचार राज्य शासन, वन विभाग के माध्यम से ही किया जावे। इस संबंध में अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।


(एच.एस. मोहन्ता)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक 31.7.2020

पृ. क्रमांक/891/1066/2020/10-2

प्रतिलिपि :-


1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विपणन) संघ/मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल।

4152

04-8-20



प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
(वन बल प्रमुख) न.प्र. भोपाल


सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

453
6/8/20

6/8/20